बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

आवश्यक सूचना

ज्ञापांकः– 1555/आ0प0 | पटना, दिनांकः– 31.03.2023

कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पदों पर नियुक्ति से संबंधित

राज्य में कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-18612/2019, CWJC No.- 18070/2019, 17070/2019, 18148/2019 तथा CWJC No.- 18443/2019 में दिनांक–18.12.2019 को पारित न्यायादेश तथा MJC No-72/2021 (CWJC No.- 10967/2018 से उदभूत) एवं समरूप मामलों में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु विभिन्न विभागों/जिलों की रिक्तियों को भरने हेतु निर्गत विज्ञापनों के आलोक में पूर्व में आवेदन समर्पित करनेवाले आवेदकों की One time measure के रूप में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजा जाना है।

दिनांक–14.02.2023 को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के आलोक में जिलों की रिक्तियों को भरने हेतु जिला द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञापनों में आवेदन समर्पित करनेवाले आवेदकों का ऑनलाईन आवेदन संबंधित जिला स्तर पर प्राप्त किया जाना है।

ऐसे सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग के वेबसाईट **https://bssc.bihar.gov.in** पर उपलब्ध कराये गये लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाईन आवेदन दिनांक–10.04.2023 से 01.05.2023 तक भरना सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरे जाने के पश्चात संबंधित जिला द्वारा उक्त अभ्यर्थी के द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध भरे गये आवेदन के आलोक में प्रविष्टियों को प्रमाणित कर आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। तदोपरांत आयोग द्वारा संबंधित जिलों के माध्यम से सत्यापित किये गये अभ्यर्थियों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

जिन जिलों द्वारा दिनांक–12.12.2012 के पूर्व विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उन जिलों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण होगी तथा उनके परीक्षा का प्रश्न अष्टम वर्ग स्तर का होगा तथा जिन जिलों द्वारा दिनांक–12.12.2012 के पश्चात विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उन जिलों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होगी तथा उनके परीक्षा का प्रश्न दसवीं/समकक्ष स्तर का होगा।

न्यूनतम तथा अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु कट–ऑफ–डेट का निर्धारण एवं आरक्षण के संबंध में जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित आयु सीमा के अनुसार अर्थात् उस समय इस संबंध में प्रवृत्त प्रावधान के अनुसार होगा।

इसी प्रकार आरक्षण के संबंध में जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार होगी।

विभिन्न जिलों की विभिन्न कोटि की रिक्तियों की संख्या जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित रिक्तियों के अनुसार होगी।

आयोग द्वारा परीक्षोपरांत संबंधित जिला से प्राप्त रिक्तियों के आलोक में जिलावार अनुशंसा प्रेषण की कार्रवाई की जायेगी।

अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाईट– **https://bssc.bihar.gov.in** का सतत अवलोकन करते रहेंगे।

31.03.2023

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।